रजिस्टर्ड सं० डी-(डी)--73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18, 1975 (पौष 28 1896)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 18, 1975 (PAUSA 28, 1896)

Central Secretariat Library · Govt. of India

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

(NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक सिविल लाइन्स दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	13
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	67
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	67
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	77
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	313
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	9
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	323
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	39
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	731
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	7
पूरक संख्या 3—	
28 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	51
1 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बंधी आकड़े	63

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	67
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	67
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	77
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	313
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	9
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	323
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	39
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	731
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	7
SUPPLEMENT No. 3	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 28th December 1974	51
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 1st December 1974	63

भाग I—खंड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 1975

सं० 1 प्रेज०/75 :—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री हरजीत सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक सं० 17/जे,
जालन्धर जिला,
पंजाब ।

श्री दलीप सिंह,
कांस्टेबल सं० 837,
जालन्धर जिला,
पंजाब ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

2 जुलाई, 1973 को श्री हरजीत सिंह को होशियारपुर जिले के दो घोषित-अपराधियों की गतिविधि के बारे में सूचना मिली । उन्होंने घात लगाने का आयोजन किया । जैसे ही वे उग्रपंथी दिखाई दिये श्री हरजीत सिंह ने उन्हे ललकारा और उन्हे आत्मसमर्पण करने को कहा । किन्तु उक्त बदमाशों ने मोर्चा संभाल लिया और पुलिस दल पर गोलियां चला दीं । पुलिस दल ने जवाब मे गोलियां चलाई । बदमाशों ने अंधेरे की आड़ मे बचकर भागने का प्रयत्न किया । अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री हरजीत सिंह और श्री दलीप सिंह ने रेंग कर आतताइयों के पास पहुंच कर उन पर अचानक हमला कर दिया जिससे वे हथियार डालने और आत्म-समर्पण करने के लिए बाध्य हो गये ।

सर्वश्री हरजीत सिंह और दलीप सिंह ने दो सशस्त्र कुख्यात उग्रपंथियों को जीवत पकड़ने में असाधारण कोटि के साहस और पराक्रम का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 जुलाई, 1973 से दिया जायेगा ।

सं० 2-प्रेज०/75 :—राष्ट्रपति पंजाब होम गार्ड के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कर्म सिंह,
स्वयं सेवक सं० बी० बी० 3261, **(स्वर्गीय)**
3री बटालियन,
सीमा स्कंध, पंजाब होम गार्ड ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

श्री कर्म सिंह सीमा सुरक्षा दल की 23वी बटालियन में थे और पंजाब में शेरपुर स्थित सीमा बाह्य चौकी मे तैनात किये गये थे । 3/4 दिसम्बर, 1971 के बीच की रात्रि को नियमित पाकिस्तानी सैनिकों ने, जिनकी संख्या दो कम्पनियों के बराबर थी, सीमा बाह्य चौकी पर आक्रमण किया । शत्रु ने आक्रमण से पहले तोपखाने और हवाई बमबारी भी की । शत्रु के पहले तीन आक्रमणों को विफल कर दिया गया । हताश होकर शत्रु ने पहले से अधिक शक्ति से एक बार फिर आक्रमण किया । इसके बाद शत्रु के साथ आमने-सामने लड़ाई हुई जिसमें पंजाब होम गार्ड के स्वयं सेवक कर्म सिंह ने शत्रु के साथ बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए ।

श्री कर्म सिंह ने वीरता तथा उच्चकोटि और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है । तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 3-प्रेज०/75 :—राष्ट्रपति मिजोरम तथा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री वैलियनरुमा,
कांस्टेबल,
मिजोरम पुलिस,
मिजोरम ।

श्री रुदल सिंह,
कांस्टेबल,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

17 मार्च 1974 को बड़ा बाजार क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात 6 पुलिस कर्मचारियों के एक दल ने एक व्यक्ति को देखा जिसने पहले बन्दूक दिखाकर एक स्थानीय व्यक्ति से रुपये छीन लिये थे । ललकारे जाने पर बदमाश चिल्लाया कि उसके पास हथियार हैं और वह अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने देगा । खतरे की परवाह न करते हुए कांस्टेबल वैलियनरुमा ने बदमाश को पकड़ लिया । बदमाश ने अपनी रिवाल्वर निकाल ली और कांस्टेबल पर दो गोलियां चलाई किन्तु दोनों बार निशाना चूक गया । अपराधी अपने को श्री वैलियनरुमा से छुड़ाकर भाग निकलने में समर्थ हुआ । यह देखकर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के कांस्टेबल रुदल सिंह ने बदमाश का सामना किया और बावजूद इसके कि बदमाश हथियार से लैस था उसको काबू में कर लिया । तलाशी लेने पर .455 मार्क VI वाली एक रिवाल्वर बदमाश से बरामद की गई ।

सर्वश्री वैलियनरुमा और रुदल सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए हथियार से लैस बदमाश को पकड़ने के अनुकरणीय साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 मार्च, 1974 से दिया जायेगा ।

अशोक मित्र,
राष्ट्रपति के सचिव ।

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 1974

संकल्प

फा० सं० 14(9)—प्लांट (ए)/66(.)—पथिनी सलहाकार बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में दिनांक 17 नवम्बर, 1973, 21 फरवरी, 1974, 15 मई और 1 जून, 1974 के संकल्पों सं० 14(9)—प्लांट (ए)/66 द्वारा यथा संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई, 1973 के संकल्प सं० फा० 14(9)—प्लांट (ए)/66 का और आगे उपांतरण करते हुए उक्त संकल्प में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे, अर्थात् :—

(1) कंडिका 2 में क्रमांक (IV) के सामने दिये हुये "श्री जी० एस० ग्रेवाल" नाम के स्थान पर "डा० बी० पी० माथुर, उप-सचिव" नाम रखा जाये ।

(2) कंडिका 4 में "30 सितंबर, 1974" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "31 मार्च, 1975" शब्द तथा अंक रखे जायें ।

अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एस० महादेव अय्यर,
अवर सचिव

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 1974

संकल्प

सं० 5/19/74-एफ० टी० जैड—कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र समिति, जिसकी स्थापना इस मंत्रालय के संकल्प सं० 3/3/70 एफ टी जैड दिनांक 15 मार्च, 1971 के अनुसार हुई थी, के कार्यकरण की समीक्षा पर इसके गठन को सरल और कारगर बनाने और परिचालन सम्बन्धी सुविधा के लिए इसमें और अधिक व्यापक शक्तियां निहित करने तथा जहां कहीं अपेक्षित हो औद्योगिक लाइसेंसों, पूंजीगत माल के आयात, विदेशी सहयोग, एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणाली निर्बाधिता के लिए और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन निकासी के लिए सभी आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के लिए उसे मुख्य केन्द्रीय स्थल के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने का विनिश्चय किया गया है । कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र समिति से इसका नाम बदल कर कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र बोर्ड रखने का भी विनिश्चय किया गया है ।

2. कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र बोर्ड जिसे इसमें इसके बाद बोर्ड कहा गया है, के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) कांडला स्थित निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी आवेदन पत्रों तथा जहां आवश्यक हो औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए, जिसमें ऐसे उद्योग शामिल हैं जिनमें मशीन तथा उपस्कर के रूप में 7.5 लाख रु० से अधिक का निवेश न हो (अर्थात् लघु क्षेत्र एककों के मामले जिन्हें इस समय विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा किलीयर किया जाता है) के बारे में विनिश्चय करना;

(ii) पूंजीगत माल के आयात लिए क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा दिये गये सभी आवेदन पत्रों पर धन सम्बन्धी कोई सीमा लगाये बिना तथा क्षेत्र के एककों के शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख होने की बात को देखते हुये स्वदेशी दृष्टिकोण से क्लीयरेन्स लेने तथा विज्ञापन की प्रक्रिया को छोड़कर विनिश्चय करना;

(iii) विदेशी सहयोग की शर्तों पर निर्णय लेना जिसमें वे प्रस्थापनाएं भी शामिल हैं जो विदेशी इक्विटी भागिता की अनुमत सीमा से अधिक की हों और जिनके संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन निर्बाधिता अपेक्षित हो और क्षेत्र में अनिवासी निवेश अन्तर्ग्रस्त हो;

(iv) बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा क्षेत्र में एककों की स्थापना के लिए उन प्रस्थापनाओं पर विचार करना जिनके संबंध में एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली अधिनियम के अधीन निर्बाधिता अपेक्षित है ;

(v) जिन मामलों में यह महसूस किया जाए कि सामान्य वास्तविक प्रयोक्ता हकदारियां 100 प्रतिशत निर्यातों के प्रयोजनों के लिए पूर्णतया उपयुक्त न हों, उनमें पंजीकृत निर्यातकों हेतु नीति के अन्तर्गत निर्यातों के आधार पर आयात हकदारियों सहित सामान्य वास्तविक प्रयोक्ता हकदारी के स्थान पर प्रतिपूर्ति के संबंध में कच्चे माल की आयात मात्रा की दर पर निर्णय लेना ;

(vi) क्षेत्र में स्थित एककों के निर्यात उत्पादन के पहले बारह महीनों के लिए उनकी आयातित कच्चे माल की आवश्यकताओं पर निर्णय लेना ;

(vii) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यातकों को देय सहायता स्तर को न देखते हुये क्षेत्र स्थित एककों को दिये जाने वाली निर्यात सहायता के संबंध में निर्णय लेना; और

(viii) घरेलू बाजार में निपटान हेतु क्षेत्र स्थित एककों के बेकार माल, स्क्रैप और घटिया माल की प्रतिशतता पर निर्णय लेना ।

3. बोर्ड का गठन निम्नलिखित रूप में होगा :—

1. अपर सचिव — अध्यक्ष
   वाणिज्य मंत्रालय ,
   नई दिल्ली ।
2. संयुक्त सचिव (नि०व्या०क्षे०) — सदस्य
   वाणिज्य मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
3. निदेशक (बा० प्र०) — सदस्य
   वित्त मंत्रालय,
   व्यय विभाग,
   नई दिल्ली ।
4. अध्यक्ष, कांडला पत्तन न्यास, — सदस्य
   गांधीधाम ।
5. सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क के समाहर्ता — सदस्य
   अहमदाबाद (राजस्व तथा बीमा विभाग के
   प्रतिनिधि के रूप में)
6. संयुक्त महा निदेशक, — सदस्य
   तकनीकी विकास के महानिदेशक,
   नई दिल्ली ।
7. संयुक्त सचिव, — सदस्य
   आर्थिक कार्य विभाग,
   नई दिल्ली ।
8. संयुक्त सचिव (औद्योगिक लाइसेंसिंग) — सदस्य
   औद्योगिक विकास मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
9. उद्योग आयुक्त, — सदस्य
   उद्योग विभाग, गुजरात सरकार,
   अहमदाबाद ।
10. आर्थिक सलाहकार, — सदस्य
    औद्योगिक विकास मंत्रालय,
    नई दिल्ली ।
11. संयुक्त सचिव, — सदस्य
    समवाय कार्य विभाग,
    नई दिल्ली ।
12. संयुक्त सचिव, — सदस्य
    भारी उद्योग विभाग,
    नई दिल्ली ।
13. विकास आयुक्त, — सदस्य
    कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र,
    गांधीधाम ।
14. उप सचिव, — सदस्य सचिव
    कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र,
    वाणिज्य मंत्रालय,
    नई दिल्ली ।

4. बोर्ड के अध्यक्ष को इसके विचारण में सहायता देने के उद्देश्य से किसी अन्य विभाग अथवा अभिकरण के किसी प्रतिनिधि को तदर्थ रूप से सहयोजित करने तथा जब कभी आवश्यक हों उप समितियां नियुक्त करने का अधिकार है ।

5. बोर्ड का मुख्य कार्यालय वाणिज्य मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में होगा । तथापि बोर्ड भारत में किसी भी स्थान पर बैठक बुला सकता है । बोर्ड को लिपिकीय सहायता वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाए ।

जी० सुन्दरम, संयुक्त सचिव

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 1974

संकल्प

सं० 3-82/74-एच०एम०(1)—सीमेंट संयंत्रों और उपकरणों के मूल्य ढांचे को युक्तिपूर्ण बनाने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही है । इस प्रश्न की गहराई से जांच करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने का निश्चय किया है जो इस प्रश्न की जांच करेगी :—

(1) श्री एम० सोंधी, — अध्यक्ष
    सचिव, भारी उद्योग विभाग ।
(2) डा० विस्वेस्वरैया, — सदस्य
    निदेशक, सीमेंट अनुसंधान संस्थान ।
(3) डा० एस० पी० वर्मा, — सदस्य
    उप-महानिदेशक,
    तकनीकी विकास का महानिदेशालय ।
(4) श्री एस० एम० घोष, — सदस्य
    संयुक्त सचिव,
    भारी उद्योग विभाग ।
(5) श्री हरिभूषण,
    सलाहकार, — सदस्य
    तकनीकी सेवा स्कंध,
    भारी उद्योग विभाग ।

(6) श्री आर० राजगोपालन, सदस्य
मुख्य लागत लेखा अधिकारी,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय ।

समिति के निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे :—

(1) सीमेंट संयंत्रों और उपकरणों के वर्तमान मूल्य ढांचे का मूल्यांकन करना;

(2) वर्तमान और भविष्य में भी अभिस्वीकृत मानकों और मूल्य प्राचलों (पैरा मीटरों) की जांच करना और उनकी सिफारिश करना ।

समिति उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. समिति के सभी सदस्यों
2. सभी राज्य सरकारों

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० आर० दासगप्ता, उप सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 1974

सं० 30(3)/74-सी०डी०एन०-1—श्री ए० आर० नटेसा अय्यर जो कि 31 दिसम्बर, 1974 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं उनके स्थान पर विज्ञान और तकनीकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110029, के निदेशक डा० आर० डी० देशपांडे को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 34(vii) के उपबन्धों के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 से 2 अप्रैल, 1977 तक की अवधि के लिये या उनके स्थान पर विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा उनके उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने तक, इन में से जो भी पहले हो तब तक के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय का सदस्य मनोनीत किया जाता है ।

एम० डी० पांडे, अवर सचिव

सिंचाई विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1974

संकल्प

सं० बा० नि० 2/23/74—भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा संकल्प सं० वि० का०-पांच-502/37/68 दिनांक 13 मई, 1970 के अन्तर्गत गठित और उसी मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 21 सितम्बर, 1970, 28 नवम्बर, 1970, 26 फरवरी 1971, 15 जून, 1971 तथा 9 मार्च, 1972 के अन्तर्गत यथा संशोधित ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है :—

1.	केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री	अध्यक्ष
2.	बाढ़ नियंत्रण मंत्री, असम	उपाध्यक्ष
3.	केन्द्रीय सिंचाई उपमंत्री	सदस्य
4.	वित्त मंत्री, असम	सदस्य
5.	राजस्व मंत्री, असम	सदस्य
6.	वन मंत्री, असम	सदस्य
7.	विद्युत् मंत्री, असम	सदस्य
8.	जनजाति क्षेत्र तथा भू-संरक्षण मंत्री, असम	सदस्य
9.	कृषि मंत्री, असम	सदस्य
10.	मत्स्यपालन मंत्री, असम	सदस्य
11.	मुख्यायुक्त, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
12.	ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष	सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/प्रधान मंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह इसे राज्य के राजपत्र में सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित कर दें ।

सं० बा० नि० 11(34)/74—भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा संकल्प सं० बा० नि० 11(58)/70 दिनांक 11 जनवरी, 1971 के अन्तर्गत गठित तथा संकल्प सं० बा० नि० 11(58)/70 दिनांक 24 अप्रैल, और 26 अगस्त, 1971, 15 अप्रैल, 1972 और 2 जनवरी, 1973 के अन्तर्गत यथा संशोधित उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का निम्न प्रकार पुनर्गठन किया जाता है :—

1.	मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	अध्यक्ष
2.	कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल	सदस्य
4.	सिंचाई, जलमार्ग और विद्युत मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
5.	वन मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
6.	कृषि मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
7.	अध्यक्ष, उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पश्चिम बंगाल सरकार/भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/प्रधान मंत्री के सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और राज्य सरकार से यह प्रार्थना की जाए कि वे इसे आम जानकारी के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करा दें ।

ओ० पी० चड्ढा, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 1974

संकल्प

सं० 17011/26/74-सी०पी० सी०—भारत सरकार एतद् द्वारा पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की योजनाओं के पुनरीक्षण हेतु एक समिति का गठन करती है जिसका स्वरूप तथा विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

1. **गठन :—**

(1)	श्री के० एस० आर० चारी, सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग	अध्यक्ष
(2)	श्री एम० ए० बदूद खां, सचिव, इस्पात और खान मंत्रालय, इस्पात विभाग	सदस्य
(3)	श्री बी० एम० कौल, सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	सदस्य
(4)	श्री एम० सत्यपाल अपर सलाहकार, (उद्योग तथा खनिज) योजना आयोग	सदस्य
(5)	श्री जी० जी० सरकार, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, (अथवा उनका प्रतिनिधि)	सदस्य
(7)	श्री आर० एन० शर्मा, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भारत कोकिंग कोल लि०	सदस्य
(8)	श्री एच० बी० घोष निदेशक (योजना तथा विकास) तथा प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन तथा विकास संस्थान, कोयला खान प्राधिकरण लि०	सदस्य
(9)	श्री पी० के० घोष, कोयला नियंत्रक	सदस्य
(10)	श्री एस० के० बोस, संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग	सदस्य-सचिव

2. **विचारार्थ विषय :—**

(1) कोकिंग कोयले के उत्पादन तथा चौथी योजना और उसके बाद इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयले की सप्लाई का पुनरीक्षण तथा जो विशिष्ट समस्याएं एवम् कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं उनका अभिनिर्धारण करना;

(2) यथा-अभिनिर्धारित कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कोकिंग कोयले के उत्पादन के लिये आयोजन, संगठन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये समुचित सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना;

(3) उष्ण धातु के उत्पादन तथा कोकिंग कोयले के संरक्षण के लिये किये गये उपायों अथवा किये जाने वाले उपायों को ध्यान में रखते हुए इस्पात संयंत्रों द्वारा कोकिंग कोयले की खपत की प्रवृत्ति का पुनरीक्षण करना ;

(4) इस्पात संयंत्रों की आवश्यकतानुसार कोयले की कोटि और सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कोकिंग तथा मिश्रण योग्य कोयले के उत्पादन हेतु तैयार की गई संवर्ग योजनाओं का पुनरीक्षण करना ;

(5) इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले के प्रक्षालन के लिये प्रक्षालनशालाओं की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं का पुनरीक्षण करना तथा इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से प्रक्षालित कोयले की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिये उपायों का सुझाव देना; तथा

(6) पांचवीं तथा छठी योजनाओं के दौरान इस्पात संयंत्रों को मुख्य तथा मध्यम कच्चे/प्रक्षालित कोकिंग कोयले और सम्मिश्रण योग्य कोयले की सप्लाई के लिये स्थायी संयोजन करना ।

2. यह समिति 31 मार्च, 1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों, कोयला खान प्राधिकरण लि० के अध्यक्ष, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के निदेशक तथा महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, नई दिल्ली को भेजी जाये ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th January 1975

No. 1-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Names and Ranks of the Officers

Shri Harjit Singh,

Sub-Inspector of Police, No. 17/J,

Jullundur District.

Punjab.

Shri Dalip Singh,

Constable No. 837,

Jullundur District,

Punjab.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 2nd July, 1973 Shri Harjit Singh received information about the movement of two proclaimed offenders of District Hoshiarpur. He laid an ambush. As soon as the extremists were sighted Shri Harjit Singh challanged them and asked them to surrender but the outlaws took up positions and started firing on the police party who returned the fire. The outlaws then tried to escape under the cover of darkness. In disregard of their personal safety Shri Harjit Singh and Shri Dalip Singh crawled towards the desparadoes and surprised them from close range forcing them to lay down their arms and surrender.

Both Shri Harjit Singh and Shri Dalip Singh showed courage and valour of exceptional order by capturing alive two notorious extremists who were fully armed.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd July, 1973.

No. 2-Pres./75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Home Guard :—

Name and Rank of the Officer

Shri Karam Singh, *(Deceased)*

Volunteer No. BV.-3261,

3rd Battalion,

Border Wing, Punjab Home Guard.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

Shri Karam Singh was attached to the 23rd Battalion, Border Security Force, and was posted at Border Out Post Sherpur, Punjab. On the night intervening 3/4th December, 1971 the Border Out Post was attacked by regular Pak troops in two Companies strength, artillery and air-fire preceding the enemy attack. The first three attempts by the enemy were repulsed. The enemy then made a desperate attempt again with much larger force. A hand to hand fight ensued in which volunteer Karam Singh of Punjab Home Guards laid down his life valiantly fighting the enemy.

Shri Karam Singh exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th December, 1971.

No. 3-Pres./75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Mizoram Police and Central Reserve Police Force :—

Names and Ranks of the Officers

Shri Vallianruma,

Constable,

Mizoram Police,

Mizoram.

Shri Rudal Singh,

Constable,

Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 17th March, 1974, a police party consisting of six policemen on duty in Bara Bazar area, sighted a person who had earlier extorted money from a local man at the point of gun. On being challenged, the outlaw shouted that he was armed and that he would not allow them to arrest him. Unmindful of the risk involved Constable Vallianruma caught hold of the outlaw. The outlaw whipped out his revolver and fired twice on the Constable, missing him, each time. The criminal was able to escape from the grip of Shri Vallianruma. Seeing this Constable Rudal Singh of the Central Reserve Police Force tackled the outlaw and was able to overpower him inspite of the fact that the hostile was armed. On search, one .455 mark VI revolver was recovered from the outlaw.

Shri Vallianruma and Shri Rudal Singh exhibited exemplary courage and devotion to duty in apprehending an armed outlaw in disregard to their personal safety.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th March, 1974.

A. MITRA
Secretary to the President.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 26th December 1974

RESOLUTION

F. No. 14(9)-Plant(A)/66(.).—In further modification of this Ministry's Resolution No. F. 14(9)-Plant(A)/66 dated 26th July 1973 as amended by Resolution No. 14(9)-Plant-(A)/66 dated the 17th November, 1973, 21st February, 1974, 15th May and 1st June, 1974 in regard to the reconstitution of Pathmi Advisory Board, the following changes shall be made in the said Resolution, namely :—

(1) In paragraph 2, for the name "Shri G. S. Grewal" occurring in S. No. (IV), the name "Dr. B. P. Mathur, Deputy Secretary" may be substituted.

(2) In Paragraph 4, for words and figures "30th September 1974" the words and figures "31st March 1975" may be substituted.

The other terms and conditions remain unchanged.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

(Kandla Free Trade Zone Board)

New Delhi, the 5th December 1974

RESOLUTION

No. 5/19/74-FTZ.—On review of the functioning of the Kandla Free Trade Zone Committee set up vide this Ministry Resolution No. 3/3/70-FTZ dated the 15th March, 1971, it has been decided to streamline its composition and Test it with more comprehensive powers for operational convenience and enabling it to function as the main focal point for taking decisions all applications for industrial licences, import of capital goods foreign collaboration, MRTP clearance, wherever required, and for clearance under the Foreign Exchange Regulation Act. It has also been decided to change its nomenclature from Kandla Free Trade Zone Committee to Kandla Free Trade Zone Board.

2. The terms of reference of the Kandla Free Trade Zone Board, herein-after called the Board, will be as under :—

(i) taking decisions on all applications for setting up industries in Free Trade Zone at Kandla and for grant of industrial licences, where necessary, including that involving not more than Rs. 7.5 lakhs of investment in machinery and equipment (i.e., cases of units in the small scale sector which are presently cleared by the Development Commissioner, Small Scale Industries);

(ii) taking decisions on all applications for import of capital goods by entrepreneurs in the Zone without any monetary limit and dispensing with the procedure obtaining clearance from indigenous angle and advertisement in view of the Zone units being 100% export oriented;

(iii) taking decisions on the terms and conditions of foreign collaboration, including proposals with more than permissible limit of foreign equity participation and requiring clearance under the Foreign Exchange Regulation Act, involving non-resident investment in the Zone;

(iv) considering proposals for setting up units in the Zone by large industrial houses which require clearance under the MRTP Act;

(v) taking decisions on the rate of raw material import content of replenishment in lieu of normal A U entitlement plus import entitlement against exports under REP in cases where it is felt that normal A U entitlements may not be quite adequate for purposes of 100% export;

(vi) taking decisions on requirements of imported raw material of the units in the Zone for their first twelve months export production;

(vii) taking decisions on export assistance to be granted to the Zone units independently of the level of assistance admissible to exporters in the Domestic Tariff Area; and

(viii) taking decisions on percentage of waste, scrap and substandard goods of Zone units for disposal in the home market.

3. The composition of the Board will be as under :—

Chairman—

1. Additional Secretary
Ministry of Commerce,
New Delhi.

Member—

2. Joint Secretary (FTZ),
Ministry of Commerce,
New Delhi.

3. Director (Com. Div.),
Ministry of Finance,
Deptt. of Expenditure,
New Delhi.

4. Chairman
Kandla Port Trust,
Gandhidham.

5. Collector of Customs and Central Excise
Ahmedabad,
(as representative of Deptt. of Revenue & Insurance).

6. Joint Director General,
Directorate General of Technical Development,
New Delhi.

7. Joint Secretary,
Deptt. of Economic Affairs,
New Delhi.

8. Joint Secretary (Industrial Licensing),
Ministry of Industrial Development,
New Delhi.

9. Industries Commissioner,
Deptt. of Industries,
Government of Gujarat,
Ahmedabad.

10. Economic Adviser,
Ministry of Industrial Development,
New Delhi.

11. Joint Secretary,
Department of Company Affairs,
New Delhi.

12. Joint Secretary,
Department of Heavy Industry,
New Delhi.

13. Development Commissioner,
Kandla Free Trade Zone,
Ghandhidham (Kutch)

Member Secretary—

14. Deputy Secretary,
Kandla Free Trade Zone,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

The Chairman of the Board is authorised to coopt ad-hoc any representative of any other Department or agency in order to assist in its deliberations and to appoint sub-committees as and when required.

5. The headquarter of the Board will be in the main Secretariat of the Ministry of Commerce. The Board may, however, meet at any place in India. The secretarial assistance to the Board will be provided by the Ministry of Commerce.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

G. SUNDARAM, Deputy Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 23rd December 1974

RESOLUTION

No. 3-82/74/HM-I.—The question of rationalising the cost structure of Cement Plants and equipments has been engaging the attention of the Government for some time. With a view to examine this question in depth, it has been decided to constitute a Committee comprising of the following to look into this question :—

Chairman—

1. Shri M. Sondhi,
Secretary,
Deptt. of Heavy Industry.

Member—

2. Dr. H. C. Visvesvaraya,
Director,
Cement Research Institute.

3. Dr. S. P. Verma,
Deputy Director General,
Directorate General of Technical Development,

4. Shri S. M. Ghosh,
Joint Secretary,
Deptt. of Heavy Industry.

5. Shri R. Rajgopalan,
Chief Cost Accounts Officer,
Department of Expenditure,
Ministry of Finance.

6. Shri Hari Bhushan, Adviser,
Technical Services Wing,
Deptt. of Heavy Industry.

The following will be the terms of reference to the Committee :—

(1) To evaluate and appraise the present pricing pattern of cement plants and equipments;

(2) To examine and recommend the norms and pricing parameters that should be adopted for the present and also in the future.

The Committee shall submit its report to the Government in the Ministry of Industry and Civil Supplies, Department of Heavy Industry within a period of three months.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :

1. All Members of the Committee.

2. All State Governments.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

P. R. DASGUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture Research and Education)

New Delhi, the 26th December 1974

No. 30(3)/74-Cdn.I.—Under the provision of Rule 34(vii) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, Dr. R. D. Despande, Director, Deptt. of Science & Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110029 has been nominated as a member of the Governing Body of the Indian Council of Agricultural Research for the period from the 18th December, 1974 to 2nd April, 1977 or till such time as his successor is nominated thereon, by the Department of Science and Technology, whichever is earlier, *vice* Shri A. R. Natesa Iyer, who is due to retire on the 31st December, 1974.

M. D. PANDE, Under Secy.

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 28th December 1974

RESOLUTION

No. PC-2(23)/74.—The Brahmaputra Flood Control Board set up by the erstwhile Ministry of Irrigation & Power *vide* Resolution No. DWV-502(37)/68 dated the 13th May, 1970 and amended *vide* that Ministry's Resolution of even number dated the 21st September, 1970, 28th November, 1970, 26th February, 1971, 15th June, 1971 and 9th March, 1972 is reconstituted as under :—

Chairman—

1. Union Minister of Agriculture and Irrigation;

Vice Chairman—

2. Minister of Flood Control, Assam;

Member—

3. Union Deputy Minister of Irrigation;

4. Minister of Finance, Assam;

5. Minister of Revenue, Assam;

6. Minister of Forests, Assam;

7. Minister of Power, Assam;

8. Minister of Tribal areas and Soil Conservation, Assam;

9. Minister of Agriculture, Assam;

10. Minister of Fisheries, Assam;

11. Chief Commissioner, Arunachal Pradesh;

12. Chairman of the Brahmaputra Flood Control Commission.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the State Government/All Ministries of Government of India /Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/ Planning Commission for information.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government be requested to publish it in the State Gazette for general information.

RESOLUTION

No. PC-11(34)/74.—The North Bengal Flood Control Board set up by the erstwhile Ministry of Irrigation and Power *vide* Resolution No. PC-11(58)/70 dated the 11th January, 1971 and as amended under Resolution No. PC-11(58)/70 dated the 24th April and 26th August, 1971, 15th April, 1972 and 2nd January, 1973, is reconstituted as follows :—

Chairman—

1. Chief Minister, West Bengal;

Member—

2. A representative of the Ministry of Agriculture & Irrigation, (Department of Irrigation);

3. Minister of Finance, West Bengal;

4. Minister of Irrigation, Waterways and Power, West Bengal;

5. Minister of Forests, West Bengal;

6. Minister of Agriculture, West Bengal;

Member Secretary—

7. Chairman,

North Bengal Flood Control Commission.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the State Government of West Bengal/concerned Ministries of the Government of India/Prime Minister's Secretariat/ Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government be requested to publish it in the State Gazette for general information.

O. P. CHADHA, Joint Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 26th December 1974

RESOLUTION

No. 17011/26/74-CPC.—The Government of India hereby constitute a Committee to review plans for coal supplies to

steel plants during the Fifth and Sixth Five-Year Plans, with the following composition and terms of reference :—

I. *Composition*

Chairman—

(1) Shri K. S. R. Chari,
Secretary,
Ministry of Energy,
Department of Coal.

Member—

(2) Shri M. A Wadud Khan,
Secretary,
Ministry of Steel & Mines,
Department of Steel.

(3) Shri B. M. Kaul,
Member of Traffic,
Railway Board,
Ministry of Railways.

(4) Shri M. Satyapal,
Aditional Adviser,
(Industry and Minerals),
Planning Commission.

(5) Shri G. G. Sarkar,
Central Fuel Research Institute.

(6) Chairman,
Steel Authority of India Limited
(or his representative)

(7) Shri R. N. Sharma,
Chairman-cum-Managing Director,
Bharat Coking Coal Limited.

(8) Shri H. B. Ghosh,
Director,
(Planning and Development) and
Managing Director,
Central Mines Planning and Development Institute,
Coal Mines Authority Limited.

(9) Shri P. K. Ghosh,
Coal Controller.

Member Secretary—

(10) Shri S. K. Bose,
Joint Secretary,
Ministry of Energy,
Department of Coal

II. *Terms of reference*

(1) To review the production and supply of coking coals to the steel industry during the Fourth Plan, and after, and to identify the specific problems and difficulties which have arisen;

(2) To suggest appropriate corrective actions in the areas of planning, organisation and implementation of programmes for the production of coking coal in the light of the difficulties so identified;

(3) To review the trend of consumption of coking coal by the steel plants, having regard to the production of hot metal and the measures taken or required to be taken to conserve coking coal;

(4) To review the perspective plans drawn up for the production of coking coal and blendable coal to meet the requirements of the steel industry during the Fifth and Sixth Five Years Plans keeping in view the quality and blends of the coal required by the steel plants;

(5) To review the plans for the establishment of washeries for washing coal to be supplied to the steel plants and suggest measures to increase the availability of washed coal to meet the requirements of steel plants; and

(6) To establish firm linkages for the supply of prime and medium raw/washed coking coal and blendable coal to the steel plants during the Fifth and Sixth Plans.

2. The Committee will submit its report by the 31st March, 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the Ministries and the Departments of the Government of India, Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat, the Chairman and Members of the Committee, the Chairman, Coal Mines Authority Limited, the Director, Central Fuel Research Institute, and Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. B. LAL, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975